

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम जगदीश चौहान 2. वर्तमान धारित पद अध्यक्ष अभियंता 3. कार्यालय का नाम उपभार प्रोजेक्ट, म.उ. पा. 2/5/6, इन्दौर  
 4. वर्तमान वेतन 19690 + 5400 + D.A. 5. मविध्य निधि क्रमांक \_\_\_\_\_ 6. कर्मचारी संख्या 174424001

संपत्ति का नाम तथा ब्यारे							
उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि साथ के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यारे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
इन्दौर, इन्दौर विकास प्रधिकरण की संयोजना क्र. 78 में 527/सम्पत्त-अ/ स्लाइस नं. 3	प्लॉट नं. 527/सम्पत्त-अ/ स्लाइस नं. 3/संयोजना क्रमांक 78 (अख्य) में भवन	—	सरासरी 48 लाख	स्वयं	सेक्टर नं. 3, ऑफिस इंडिया सेटोम लोडिंग द्वारा वर्ष 2012 में खरीदा गया, इन्दौर विकास प्रधिकरण इन्दौर से	निरंक	—

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
 नाम जगदीश चौहान  
 पद अध्यक्ष अभियंता

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी—मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 419(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।

इस कार्यालय संपलक्ष कराया जाना सुनिश्चित करें।  
 संलग्न - संपरोक्तानुसार